झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक रिट याचिका सं॰ - 808/2023

राजेंद्र प्रसाद, उम्र लगभग 47 वर्ष, पिता चोधरी साव, निवासी ग्राम- उप्पर टोला, आर्यावर्त क्लब के पास, चैनपुर, डाकघर+थाना-रामगढ़, जिला-रामगढ़, झारखंड

.... **याचिकाकर्ता**

-बनाम-

1. झारखण्ड राज्य.
2. पुलिस अधीक्षक, लातेहार, डाकघर+थाना - लातेहार, जिला - लातेहार, झारखण्ड।
3. प्रभारी पदाधिकारी, बालूमाथ थाना, डाकघर+थाना - बालूमाथ, जिला- लातेहार।
4. श्री प्रेम कुमार निषाद, पुलिस अवर निरीक्षक, अमराबाडीह पिकेट प्रभारी, बालूमाथ थाना, कैम्प-09, डाकघर+थाना - बालूमाथ, जिला - लातेहार।
5. उपायुक्त, लातेहार, डाकघर+थाना - लातेहार, जिला - लातेहार.
6. प्रधान सचिव सह खान आयुक्त, विभाग खान एवं खनिज, झारखंड राज्य, डाकघर+थाना - धुर्वा, रांची.
7. जिला खान पदाधिकारी, लातेहार, डाकघर+थाना - लातेहार, जिला- लातेहार

.... **प्रतिवादी**

याचिकाकर्ता के लिए: श्री शंकर लाल अग्रवाल, अधिवक्ता
श्री ओम प्रकाश, अधिवक्ता
श्री दीन बंधु,

राज्य के लिए अधिवक्ता: श्री मनोज कुमार, जी.ए-III
श्री गौरांग जजोदिया, ए.सी टू जी.पी-II

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया।

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है, जिसमें बालूमाथ थाना कांड संख्या 169/2022 के संबंध में जब्त वाहन पंजीकरण संख्या JH 02AQ 4220 की जब्ती को रद्द करने के लिए एक उचित रिट/आदेश/निर्देश देने की प्रार्थना की गई है, जो कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 30 के साथ खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 और झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2017 के नियम 13 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज किया गया है, जो लातेहार के उपायुक्त-सह-जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित 04.05.2023 के आदेश को रद्द करने के लिए है। झारखंड खनिज अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण रोकथाम नियम, 2017 के नियम 11 (v) के तहत उपायुक्त, लातेहार ने निबंधन संख्या JH 02AQ 4220 वाले वाहन को जब्त कर लिया और जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार को निर्देश दिया कि वे वाहन की नीलामी कराएं और एकत्रित राशि को राज्य के खजाने में जमा कराएं और साथ ही विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, लातेहार को निर्देश देकर याचिकाकर्ता के पक्ष में निबंधन संख्या JH 02AQ 4220 वाले वाहन को ऐसे नियमों और शर्तों पर जारी करें, जैसा कि विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, लातेहार उचित और उचित समझें।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि उक्त हाइवा वाहन निबंधन संख्या JH 02AQ 4220 को पुलिस अवर निरीक्षक द्वारा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 30 और एमएमडीआर अधिनियम की धारा 21 तथा झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2017 के नियम 13 के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोप में जब्ती सूची के पृष्ठ 31 पर रखा गया है। उक्त घटना के संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 411, कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 30, एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 21 तथा झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियमावली, 2017 के नियम 13 के तहत दंडनीय अपराध के लिए बालूमाथ थाना कांड संख्या 169/2022 दर्ज किया गया है। वाहन को मुक्त करने के लिए याचिकाकर्ता ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, लातेहार की अदालत में

आवेदन दायर किया तथा दिनांक 16.05.2023 के आदेश के तहत विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, लातेहार ने वाहन को मुक्त करने की प्रार्थना को खारिज कर दिया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 319/2023 दायर किया। लातेहार के उपायुक्त ने झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियम, 2017 के नियम 11 (v) के तहत जब्ती वाद संख्या 108/2022 के तहत कार्यवाही शुरू की तथा उक्त वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JH 02AQ 4220 है, को जब्त कर लिया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जब्ती की कार्यवाही उपायुक्त द्वारा झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियम, 2017 के नियम 11 (v) के तहत शुरू की गई है। अतः स्पष्ट रूप से उक्त हाइवा वाहन की जब्ती झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियम, 2017 के नियम 11 (i) के तहत की गई है, जो इस प्रकार है:-

11. तलाशी, जब्ती और जब्ती:-

निम्नलिखित अधिकारियों को खदान या अन्य स्रोत या भंडारण से खनिज/अयस्क ले जाने वाले किसी भी स्थान/ट्रक/अन्य वाहन को रोकने, जांच करने, तलाशी लेने और सत्यापन करने तथा नीचे निर्दिष्ट क्षेत्राधिकार के भीतर आवश्यकतानुसार जब्त करने के लिए अधिकृत किया गया है:

i.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/आयुक्त, खान	सम्पूर्ण राज्य में।
ii.	खान निदेशक	सम्पूर्ण राज्य में।
iii.	अतिरिक्त खान निदेशक	-do-
iv.	खान उपनिदेशक	अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में।
v.	जिला कलेक्टर/उपायुक्त	अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में।
vi.	जिला/सहायक खनन अधिकारी	अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में।
vii.	उपविभागीय मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर द्वारा अधिकृत कोई अन्य अधिकारी	अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में/ जिले में कलेक्टर द्वारा अधिकृत क्षेत्राधिकार
viii.	खनन निरीक्षक	-do-
ix.	प्रभारी चेक-गेट	-do-

> खनन पट्टेदार/डीलरों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके वाहक ऐसे निरीक्षण के लिए सभी प्रकार की सहायता और सहयोग प्रदान करें।

और यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त नियमों के तहत पुलिस उपनिरीक्षक को किसी भी वाहन को जब्त करने का अधिकार नहीं है और वैध जब्ती के अभाव में वैध जब्ती कार्यवाही नहीं हो सकती है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने कैलाश प्रसाद यादव एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है, जो (2007) 5 एससीसी 769 पैराग्राफ-7 में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें निम्नानुसार है:-

> "**7.** जैसा कि सर्वविदित है, वैध जब्ती संपत्ति की जब्ती का आदेश पारित करने के लिए अनिवार्य शर्त है।"

6. और प्रस्तुत किया कि लातेहार के उप आयुक्त-सह-जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 04.05.2023 को पारित आदेश, जिसमें जब्ती वाद संख्या 108/2022 में प्रश्नगत वाहन को जब्त करने का आदेश पारित किया गया था, कानून में टिकने योग्य नहीं है और इसे इस आधार पर रद्द किया जा सकता है कि वैध जब्ती के अभाव में वाहन को जब्त करने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। 6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (4ए) की ओर आकर्षित किया है, जो इस प्रकार है:-

> "**21.** (4ए) उपधारा (4) के तहत जब्त किया गया कोई भी खनिज, उपकरण, उपकरण, वाहन या कोई अन्य चीज, उपधारा (1) के तहत अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा जब्त की जा सकेगी और ऐसे न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान किया जाएगा" (जोर दिया गया)

और प्रस्तुत किया कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (4 ए) में यह परिकल्पना की गई है कि खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (1) के तहत जब्त वाहन को केवल अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा जब्त और निपटाया जा सकता है और इस मामले में

उपायुक्त, लातेहार संज्ञान लेने के लिए सक्षम न्यायालय नहीं था और न ही प्रश्नगत वाहन के निपटान के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार वाले किसी न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय का ध्यान झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियम, 2017 के नियम 11 (v) की ओर आकर्षित किया है।

> **11.** तलाशी, जब्ती और जब्ती:-
>
> (i) xxxx
>
> (ii) xxxx
>
> (iii) xxxx
>
> (iv) xxxx
>
> (v) जब्त किया गया कोई भी खनिज, उपकरण, उपकरण, वाहन या कोई भी वस्तु संबंधित जिले के उपायुक्त की अदालत के आदेश द्वारा जब्त की जा सकेगी और ऐसी अदालत के निर्देशानुसार उसका निपटान किया जाएगा। (जोर दिया गया)

और प्रस्तुत करता है कि उक्त नियम में यह भी परिकल्पना की गई है कि संबंधित जिले का उप आयुक्त जब्त वाहन का निपटान ऐसे न्यायालय के निर्देशानुसार करेगा और "ऐसे न्यायालय" शब्दों का स्पष्ट अर्थ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (4ए) में निर्दिष्ट न्यायालय है; जिसका अर्थ है अपराध का संज्ञान लेने में सक्षम न्यायालय अर्थात इस मामले में संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी और संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम श्रेणी के निर्देश के बिना, उपायुक्त ने संबंधित जिला खनन अधिकारी के माध्यम से नीलामी के माध्यम से उक्त वाहन के निपटान का आदेश पारित कर दिया है; यह कानून में टिकने योग्य नहीं है और इस प्रकार इसे रद्द किया जा सकता है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने **अवतार सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य** जो **2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 319** में रिपोर्ट किया गया था के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें उस मामले के तथ्यों में जहां आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के दंड प्रावधानों के तहत अभियोजन से संबंधित मामला था; जहां

पुलिस उप-निरीक्षक के पास आवश्यक वस्तु अधिनियम के आदेशों के अनुसार कार्रवाई करने का कोई अधिकार या शक्ति नहीं थी, उसके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को पूरी तरह से अनधिकृत माना गया था और इसे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था और संबंधित अपीलकर्ताओं की सजा और सजा को अलग रखा गया था। अतः यह प्रस्तुत किया जाता है कि बालूमाथ थाना कांड संख्या 169/2022 के संबंध में जब्त वाहन पंजीकरण संख्या JH 02AQ 4220 को जब्त करने के आदेश को दिनांक 04.05.2023 के आदेश के तहत रद्द करने के लिए एक उचित रिट/आदेश/निर्देश पारित किया जाए; उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, लातेहार द्वारा जब्ती वाद संख्या 108/2022 में पारित आदेश जिसके तहत उपायुक्त, लातेहार ने निबंधन संख्या JH 02AQ 4220 वाले वाहन को जब्त कर लिया है तथा जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार को निर्देश दिया है कि वे वाहन की नीलामी कराएं तथा एकत्रित राशि को राज्य के खजाने में जमा कराएं तथा विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, लातेहार द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में निबंधन संख्या JH 02AQ 4220 वाले उक्त वाहन को ऐसे नियमों व शर्तों पर जारी किया जाए, जैसा विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, लातेहार उचित व उचित समझें।

9. विद्वान जी.ए.-III ने दलील दी है कि इस रिट याचिका में शामिल मुद्दे इस न्यायालय की खंडपीठ में रिट याचिका (सिविल) संख्या 3441/2023 में विचाराधीन हैं। इसलिए, इस न्यायालय को कोई आदेश पारित नहीं करना चाहिए। विद्वान जी.ए.-III ने दलील दी है कि चूंकि झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम) नियम, 2017 के नियम 14 के तहत अपील का प्रावधान है, इसलिए, रिट याचिका मान्य नहीं होगी। इसलिए, यह दलील दी जाती है कि इस रिट याचिका को बिना किसी योग्यता के खारिज किया जाना चाहिए।

10. बार में प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि अब तक यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि जब किसी मामले के तथ्य निर्विवाद हैं और केवल कानूनी मुद्दों पर ही निर्णय लिया जाना है, क्योंकि वैकल्पिक उपाय मौजूद है, तो रिट याचिका को भारत के संविधान की

धारा 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए न्यायालयों के स्व-लगाए गए प्रतिबंध द्वारा वर्जित नहीं किया जाएगा।

11. इस मामले में, निर्विवाद रूप से, उपायुक्त, लातेहार ने झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियम, 2017 के नियम 11 (v) के तहत शक्ति का प्रयोग किया है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि प्रश्नगत वाहन की जब्ती उक्त झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियम, 2017 के नियम 11 (i) के तहत की गई थी। जैसा कि पहले ही ऊपर संकेत दिया गया है, पुलिस उप-निरीक्षक झारखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम) नियम, 2017 के नियम 11 (i) के तहत जब्ती करने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए, स्पष्ट रूप से प्रश्नगत वाहन की वैध जब्ती नहीं थी और **कैलाश प्रसाद यादव एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य (सुप्रा)** के मामले में कानून के स्थापित सिद्धांत के मद्देनजर कि वैध जब्ती के अभाव में, संपत्ति की जब्ती भी कानून के अनुसार नहीं है; वर्तमान मामले में भी, प्रश्नगत वाहन की वैध जब्ती के अभाव में, संबंधित उपायुक्त द्वारा की गई उसकी जब्ती अवैध है और इस प्रकार रद्द किए जाने योग्य है।

12. अन्यथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 (4 ए) के अंतर्गत भी जब्त की गई संपत्ति संज्ञान लेने के लिए सक्षम न्यायालय के आदेश द्वारा जब्त की जा सकती है और चूंकि इस तरह की जब्ती के लिए संज्ञान लेने के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है और चूंकि जब्त की गई संपत्ति के निपटान के लिए संबंधित न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है और न्यायालय के किसी आदेश के बिना ही उपायुक्त ने संबंधित जिला खनन पदाधिकारी द्वारा नीलामी के माध्यम से संपत्ति के निपटान का आदेश दिया है, इसलिए इस न्यायालय को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, लातेहार द्वारा पारित दिनांक 04.05.2023 का आदेश जब्ती वाद संख्या 108/2022 में पारित किया गया था, जिसके तहत उपायुक्त, लातेहार ने वाहन जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर JH 02AQ 4220 है, को जब्त कर लिया है तथा जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार को वाहन की नीलामी कर वसूली गई राशि को राज्य के खजाने में जमा करने का

निर्देश दिया है, जो कानूनन टिकने योग्य नहीं है तथा निरस्त किए जाने योग्य है।

13. तदनुसार, यह एक उपयुक्त मामला है, जिसमें लातेहार के उप-आयुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी द्वारा पारित दिनांक 04.05.2023 के आदेश को निरस्त करने के लिए उचित रिट/आदेश/निर्देश पारित किया जाना है, जो कि जब्ती वाद संख्या 108/2022 में पारित किया गया था, जिसके तहत लातेहार के उप-आयुक्त ने निबंधन संख्या JH 02AQ 4220 वाले वाहन को जब्त कर लिया था तथा जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार को निर्देश दिया था कि वे वाहन की नीलामी करवाएं तथा एकत्रित राशि को राज्य कोषागार में जमा करवाएं तथा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, लातेहार को निर्देश देकर उक्त निबंधन संख्या JH 02AQ 4220 वाले वाहन को याचिकाकर्ता के पक्ष में मुक्त किया जाए।

14. अतः यह आदेश दिया जाता है कि लातेहार के उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी द्वारा जब्ती वाद संख्या 108/2022 में पारित दिनांक 04.05.2023 के आदेश को निरस्त करते हुए एक रिट जारी की जाए तथा लातेहार के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को उक्त हाइवा ट्रक जिसका रजिस्ट्रेशन संख्या JH 02AQ 4220 है, को याचिकाकर्ता के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों के साथ मुक्त करने का निर्देश देते हुए एक रिट जारी की जाए:-

(i) याचिकाकर्ता 5,00,000/- रुपये का क्षतिपूर्ति बांड 2 सॉल्वेंट जमानत के साथ प्रस्तुत करेगा, जिसमें वह बालूमाथ थाना कांड संख्या 169/2022 के संबंध में विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, लातेहार द्वारा निर्देशित किये जाने पर पंजीकरण संख्या JH 02AQ 4220 वाले वाहन को प्रस्तुत करने का वचन देगा।

(ii) याचिकाकर्ता उक्त बालूमाथ थाना कांड संख्या 169/2022 के लंबित रहने के दौरान पंजीकरण संख्या JH 02AQ 4220 वाले वाहन को किसी भी तरह से नहीं बेचेगा, बंधक नहीं रखेगा, हस्तांतरित नहीं करेगा और न ही स्वामित्व हस्तांतरित करेगा।

(iii) याचिकाकर्ता हाइवा ट्रक पंजीकरण संख्या JH 02AQ 4220 की पहचान में कोई परिवर्तन या छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iv) विद्वान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, लातेहार, बालूमाथ थाना कांड संख्या 169/2022 के समापन के समय जब्त हाइवा ट्रक रजिस्ट्रेशन संख्या JH 02AQ 4220 के संबंध में उचित आदेश पारित करेंगे।

15. यह रिट याचिका उपरोक्त शर्तों के साथ स्वीकार की जाती है। तदनुसार आदेश दिया जाए।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 29 नवंबर, 2023
एएफआर/ अनिमेष

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।